RBE No.84/2014

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. 2011/F(E)III/2(2)/3 New Delhi, Dated31.07.2014

The GMs/FA&CAOs
All Indian Railways/Production Units.
(as per mailing list)

Sub: Grant of Study Leave to officers of Railway Medical service for prosecuting Post graduation course.

In terms of Sub-rule 5(i) of Rule 1 of Study Leave Rules, as contained in Appendix-V of Indian Railway Establishment Code, Vol. I (1985 Edition) (Third Re-print Edition 2008), study leave may be granted to a Railway servant who has satisfactorily completed period of probation and has rendered not less than five years regular continuous service including the period of probation under the Government. A Railway Medical Service Officer who has been granted study leave for thirty-six months for acquiring post graduate qualification shall execute a bond to serve the railways for a period of five years after completion of the study course.

2. The question of grant of study leave to Railway Medical Service Officers after 2 years of regular service including the period of probation under the government for acquiring Post Graduate qualification instead of present provision of 5 years of regular continuous service has been considered by the Board. It has been decided that Study leave may be granted to Railway Medical Service Officer who has satisfactorily completed period of probation and has rendered not less than two years regular continuous service including the period of probation under the Government with the stipulation that they would have to execute a bond to serve for eight years in the Railways after completing their post graduation subject to fulfillment of all other conditions regarding grant of study leave issued from time to time.

3. These orders will be effective from the date of issue of this letter.

4. Hindi version is enclosed.

5. Please acknowledge receipt.

(AMITABH JOSHI)
Dy. Director Finance(Estt.)III
Railway Board.

Contd.../-

कार्यालय महाप्रबन्धक (का.)
Office of the General Manager (P)
प्राप्ति
RB-1489
08 AUG 2014
North Western Railway, Jaipur
उत्तर-पश्चिम रेल्वे, जयपुर

आर०बी०ई०नं०-८४-/2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/एफ(ई)III/2(2)/3

नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2014

महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)
North Western Railway/Jaipur.

विषय : स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लिए रेलवे चिकित्सा सेवा के अधिकारियों को अध्ययन अवकाश देना।

भारतीय रेल स्थापना संहिता, वॉल्यूम I (1985 संस्करण) (तीसरा पुनर्मुद्रण संस्करण 2008) के परिशिष्ट-V में निहित अध्ययन अवकाश नियम के नियम 1 के उपनियम 5(i) के अनुसार, उस रेल सेवक को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है जिन्होंने प्रोबेशन की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो और सरकार के अंतर्गत प्रोबेशन की अवधि सहित कम-से-कम पांच वर्षों की नियमित निरंतर सेवा की हो। रेलवे चिकित्सा सेवा के अधिकारी जिसे स्नाकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के लिए 36 माह का अध्ययन अवकाश दिया गया है, द्वारा अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पांच वर्षों तक रेलवे की सेवा करने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

2. रेलवे चिकित्सा सेवा के अधिकारियों को स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के लिए सरकार के अंतर्गत वर्तमान में 5 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा के प्रावधान के बदले प्रोबेशन की अवधि सहित 2 वर्षों की नियमित सेवा करने के बाद अध्ययन अवकाश देने के प्रश्न पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है। यह विनिश्चय किया गया है कि उस रेलवे चिकित्सा सेवा के अधिकारी को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है जिसने प्रोबेशन की अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो और सरकार के अंतर्गत प्रोबेशन की अवधि सहित कम-से-कम दो वर्षों की नियमित निरंतर सेवा की हो और उसे अनुबंध करना होगा कि वे स्नातकोत्तर अर्हता पूरी करने के बाद समय-समय पर जारी अध्ययन अवकाश दिए जाने के संबंध में अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हुए रेलवे में आठ वर्षों तक सेवा करने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर करेंगे।

3. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. कृपया पावती दें।

05 AUG 2014
1868

(अमिताभ जोशी)
उप निदेशक वित्त (स्था.)III
रेलवे बोर्ड